रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] No. 488] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 02, 1941

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 02, 1941

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

सं. सीईए-जीओ-13-15/3/2019-डीपीआर प्रभाग.—विद्युत (पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम (3) के उप नियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए प्रारूप विनियम का प्रस्ताव छह दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त प्रकाशनों को अंतर्विष्ट करने वाले समाचार-पत्रों की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालिस दिनों की अविध की समाप्ति से पूर्व, सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त विनियमों को अंतर्विष्ट करने वाले उक्त समाचार पत्रों की प्रतियां 21 फरवरी, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया था;

अतः अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पिठत धारा 55 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

6588 GI/2019 (1)

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) (संशोधन) विनियम 2019 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), में विनियम 2, उप विनियम (1) में -
 - (i) खंड (छ) का लोप किया जाएगा।
 - (ii) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(झ) 'चेक मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है, जो इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर के उसी कोर से जोड़ा है, जिससे मुख्य मीटर जुड़ा हुआ है और इसका उपयोग मुख्य मीटर की विफलता की स्थिति में विद्युत के लेखांकन और बिलिंग में किया जाएगा:"
 - (iii) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ञ) 'उपभोक्ता मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है जिसका उपयोग उपभोक्ता को या उससे आपूर्ति की जाने वाली विद्युत के लेखांकन और बिलिंग के लिए किया जाता है, किंतु उन उपभोक्ताओं को छोड़कर जो इंटरफ़ेस मीटर के अधीन आते हैं:"
 - (iv) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ट) 'संशुद्ध मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है जो इन विनियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है;"
 - (v) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ड) 'इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर' से 'करंट ट्रांसफॉर्मर' (सीटी) या 'करंट ट्रांसफॉर्मर' (सीटी) और 'कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर' (सीवीटी) या 'करंट ट्रांसफॉर्मर' (सीटी) और 'इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर' (आईवीटी) अभिप्रेत है:"
 - (vi) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - ''(ढ) ''इंटरफ़ेस मीटर'' से विद्युत के लेखांकन और बिलिंग हेतु उपयोग किया जाने वाला वह मीटर अभिप्रेत है, जो विद्युत उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं की विद्युत प्रणालियों के बीच अंत:संयोजन बिंदु से जुड़ा है, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली और जिन्हें उपयुक्त आयोग द्वारा खुली पहुंच की अनुमति दी गई है, से सीधे जुड़ा होता है;
 - (vii) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(त) 'मीटर', से वह उपकरण अभिप्रेत है, जो विद्युत या विद्युत प्रणाली से संबंधित किसी अन्य मात्रा के प्रवहण के मापन, उपदर्शन और अभिलेखन के लिए उपयुक्त है और इसके अंतर्गत, जहां लागू हो, अन्य उपस्कर, जैसे- मापन के प्रयोजन के लिए आवश्यक इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रान्सफार्मर शामिल हैं और इससे 'संशुद्ध मीटर' भी अभिप्रेत है, यदि वह इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है;"
 - (viii) खंड (द) का लोप किया जाएगा।
 - (ix) खंड (न) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(नक) 'स्मार्ट मीटर' से आईएस 16444 और समय समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट मीटर अभिप्रेत है;"

- (x) खंड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(फ) 'स्टैंडबाई मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है, जो मुख्य मीटर और चेक मीटर के लिए प्रयुक्त इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर के अतरिक्त अन्य इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर से संयोजित है, और जिसका उपयोग मुख्य मीटर और चेक मीटर दोनों की विफलता की स्थिति में विद्युत के लेखांकन और बिलिंग के लिए किया जाएगा;"
- (xi) खंड (भ) और (म) का लोप किया जाएगा।
- 3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014 में लागू होने से संबंधित विनियम 2 का लोप किया जाएगा।
- 4. उक्त विनियमों के विनियम 4 में उप विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्: -
 - "(1) (क) सभी नए 'इन्टरफेस मीटर' और 'एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर' स्थिर प्रकार के होंगे और उनमें स्वचालित दूरस्थ मीटर रीडिंग की सुविधा होगी;
 - (ख) सभी नए उपभोक्ता मीटर पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटर होंगे;

परन्तु स्मार्ट मीटरों के अलावा, अन्य मौजूदा मीटरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।"

- 5. उक्त विनियमों के विनियम 5 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्: -
 - "(क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सुसंगत मानकों के अनुरूप है। यदि किसी विशेष उपस्कर या सामग्री के लिए बीआईएस मानक उपलब्ध नहीं हैं, तो सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) मानकों, या किसी अन्य समकक्ष मानक का अनुपालन किया जाएगा:

परन्तु जब भी किसी आईईसी मानक या किसी अन्य समकक्ष मानक का अनुपालन किया जाता है, तो उक्त मानकों को वास्तविक रूप से अपनाए जाने से पूर्व भारत में प्रचलित अभिहित (नॉमिनल) प्रणाली आवृत्ति और अभिहित (नॉमिनल) प्रणाली वोल्टेज के लिए आवश्यक संशुद्धियां या संशोधन करने होंगे:

परन्तु यह और कि परिवेशी (एम्बिएन्ट) तापमान और आर्द्रता के लिए आवश्यक संशुद्धियों या संशोधनों को इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार किया जाएगा।"

- 6. उक्त विनियमों के विनियम 6, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्: -
 - "(ख) यदि कोई उपभोक्ता मीटर क्रय करने का विकल्प चुनता है, तो वह इन विनियमों के अनुपालन में लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप उसे खरीद सकता है और उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए मीटर का परीक्षण, अधिष्ठापन और सीलिंग लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा:

परन्तु उपभोक्ता अपने द्वारा खरीदे गए मीटर का अपनी परिसंपत्ति के रूप में दावा केवल तभी करेगा, जब वह वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है।"

उक्त विनियमों के विनियम 7 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, सारणी-1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात्: -

सारणी-1

•	====	सारणा-१	चेक मीटर	1 }
क्र.सं.	चरण	मुख्य मीटर		स्टैंडबाई मीटर
1.	उत्पादन केंद्र	विभिन्न प्रशुल्क वाले या विभिन्न स्वामित्व वाले या दोनों प्रकार के उत्पादन केंद्रों के दो चरणों के बीच बस सेक्शनलाइजर या टाई लाइन सहित सभी बर्हिगामी फीडरों पर।		(i) जेनरेटर ट्रान्सफ़ॉर्मरों के उच्च वोल्टता (एचवी) सिरे पर (ii) सभी स्टेशन सहायक (ऑग्जिलरी) ट्रान्सफ़ॉर्मरों के उच्च वोल्टता (एचवी) सिरे पर।
2.	पारेषण और वितरण प्रणाली	(i) एक ही लाइसेंसधारी के उप केंद्रों के बीच की लाइन के एक सिरे पर: (ii) दो भिन्न लाइसेंसधारियों के उप केंद्रों के बीच की लाइन के दोनों सिरों पर: परन्तु संबंधित लाइसेंसधारियों के लिए दोनों सिरों के मीटरों को मुख्य मीटर माना जाएगा।	-	(i) पृथक रूप से कोई भी स्टैंडबाई मीटर नहीं होगा। (ii) दो भिन्न लाइसेंसधारियों के मामले में लाइन के दूसरे सिरे पर अधिष्ठापित मीटर स्टैंडबाई मीटर का कार्य करेगा।
3.	अंतःसंयोजित ट्रांसफार्मर (आईसीटी)	आईसीटी के उच्च वोल्टता (एचवी) वाले सिरे पर।	-	आईसीटी के निम्न वोल्टता (एलवी) वाले सिरे पर।
4.	अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से सीधे संयोजित उपभोक्ता, जिन्हें समुचित आयोग द्वारा ओपन एक्सेस की अनुमति प्रदान की गई है या कोई अन्य प्रणाली, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है।	समुचित आयोग द्वारा जैसा विनिश्चित किया जाए।		

- (ii) उप-विनियम (2) में,
 - ्(I) खंड (क) के प्रथम परन्तुक में "रियल टाइम डिस्प्ले यूनिट" शब्दों के स्थान पर "इन होम डिस्प्ले यूनिट" रखा जाएगा।
 - (II) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ख) मीटर का स्थान और फर्श से मीटर डिस्प्ले की ऊंचाई, आईएस 15707 में यथाविनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित होगी।"
 - (III) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ग) बाहरी अधिष्ठापनों के मामले में, आईएस 15707 में यथाविनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित सुरक्षा स्तर वाले उपयुक्त आवरण द्वारा मीटर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।"
 - (IV) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।
 - (iii) उप-विनियम (3) में खंड (i) में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के मामले में, मीटर को इन्वर्टर प्रत्यावर्ती धारा (एसी) आउटपुट टर्मिनलों पर संस्थापित किया जाएगा,"

- 8. उक्त विनियमों के विनियम 9 में, -
- (i) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(3) एकल फेज मीटरों के मामले में, उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता की ओर की वायरिंग में कॉमन न्यूट्रल या फेज न हो अथवा दो या अधिक उपभोक्ताओं के न्यूट्रल या फेज की लूपिंग न हो:

परन्तु, यदि लाइसेंसधारी को ऐसे कॉमन न्यूट्रल या फेज अथवा न्यूट्रल या फेज की लूपिंग का पता चलता है, तो इसका पता चलते ही वह अधिष्ठापन रिपोर्ट अथवा नियमित विद्युत बिलों अथवा मीटर परीक्षण रिपोर्टों या एसएमएस के माध्यम से, जो भी लागू हो, सूचना उपभोक्ता को देगा और इस प्रकार का नोटिस देने के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा उसे सुधारा जाएगा।"

- (ii) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(5) यदि मीटर में अर्थ लीकेज संकेत प्रदर्शित होता है, तो इसका पता चलते ही लाइसेंसधारी अधिष्ठापन रिपोर्ट अथवा नियमित विद्युत बिलों अथवा मीटर परीक्षण रिपोर्टों या एसएमएस के माध्यम से, जो भी लागू हो, सूचना उपभोक्ता को देगा और इस प्रकार का नोटिस देने के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा उसे सुधारा जाएगा।"
- (iii) उप-विनियमन (6) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(6) यदि इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफार्मर, मीटरों के भाग हैं, तो मीटर को यथासंभव इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफार्मर के पास अधिष्ठापित किया जाएगा, ताकि द्वितीयक लीडों में विभव गिरावट (पोटेन्शियल ड्रॉप) को कम किया जा सके।"
- 9. उक्त विनियमों के विनियम 12 में. -
- (i) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्∶ -

- "(ख) लाइसेंसधारी द्वारा सभी सीलों के लिए एक निगरानी और रिकॉर्डिंग तंत्र बनाए रखा जाएगा ताकि सीलों के कुल संचालन से प्रारम्भ करके प्रापण (निर्माता के विवरण सहित), भंडारण, रिकॉर्ड रखना, अधिष्ठापन, निरीक्षणों की श्रृंखला और हटाने पर नजर रखी जा सके।"
- 10. उक्त विनियमों के विनियम 13 में, उप विनियम (3) में,-
 - (i) "उपभोक्ता मीटर" शब्दों के स्थान पर "उपभोक्ता मीटर" और "रियल टाईम डिस्प्ले यूनिट" शब्दों के स्थान पर "इन होम डिस्प्ले यूनिट" रखा जाएगा।
- 11. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(1) इंटरफ़ेस मीटर: (क) मीटर के आंकड़ों को डाउनलोड करने, मीटरीकृत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने और समुचित आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त आंकड़ों को विभिन्न एजेंसियों को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व उस उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी का होगा, जिसके परिसर में मीटर अधिष्ठापित किया गया है:

परन्तु, इंटरफ़ेस मीटरों से जुड़ी सभी जानकारी का डेटाबेस रखने और मीटरीकृत आंकड़ों की संशुद्धता सत्यापित करने का उत्तरदायित्व समुचित आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

- (ख) एक सुरक्षित और समर्पित संचार प्रणाली का उपयोग करते हुए संबंधित भार प्रेषण केंद्र (लोड डिस्पैच सेंटर) को मीटर के आंकड़ों की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- (2) उपभोक्ता मीटर: (क) स्थानीय या दूरस्थ रूप से मीटर के आंकड़ों को डाउनलोड करने, मीटरीकृत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने, मीटरों से जुड़ी सभी जानकारी का डेटाबेस रखने और मीटरीकृत आंकड़ों की संशुद्धता सत्यापित करने का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा:

परन्तु, समुचित विनियामक आयोग लाइसेंसधारियों द्वारा सभी उपभोक्ता मीटरों की इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समय सीमा को विनिर्दिष्ट करेगा।

(ख) अपने उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा और अन्य विद्युत मात्राओं का लेखा-जोखा लाइसेंसधारी रखेंगे:

परन्तु, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को मोबाइल ऐप या वेब एप्लिकेशन या इन होम डिस्प्ले या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से उसकी ऊर्जा खपत से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा ।

- (ग) संक्षिप्त इतिहास, अधिष्ठापन की तिथि और परीक्षण के ब्यौरे, अंशशोधन और मीटरों को बदलने संबंधी आंकड़े लाइसेंसधारी द्वारा रखे जाएंगे।
- (3) एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर: (क) स्थानीय या दूरस्थ रूप से मीटर के आंकड़ों को डाउनलोड करने, मीटरीकृत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने, एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटरों से जुड़ी सभी जानकारी का डेटाबेस रखने और मीटरीकृत आंकड़ों की संशुद्धता सत्यापित करने का उत्तरदायित्व उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी का होगा।
- (ख) प्रत्येक उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी अपनी प्रणाली के कुशल प्रचालन और प्रणाली विकास हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक ऊर्जा खाता बनाएगा।"

- 12. उक्त विनियमों के विनियम 15 में. -
- (i) उप-विनियम (1) में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(क) जब भी किसी मास, मुख्य मीटर और चेक मीटर रीडिंग के बीच अंतर 0.5% से अधिक है, तो निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
 - (i) इंस्ट्रमेंट ट्रांसफॉर्मर कनेक्शनों की जाँच करना।
 - (ii) परीक्षणाधीन मीटर की परिशुद्धता श्रेणी से उच्चतर परिशुद्धता श्रेणी वाले मानक संदर्भ मीटर से इंटरफ़ेस मीटर की परिशुद्धता का कार्य स्थल पर परीक्षण करना।
 - (iii) मद (i) और (ii) में निर्दिष्ट परीक्षण परिणामों के आधार पर, दोषपूर्ण मीटर को बदलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - (ख) मीटर के जलने और मापे गए प्राचलों के अनियमित प्रदर्शन जैसी स्पष्ट विफलताओं के मामले में और जब मीटर के परीक्षण में पाई गई त्रुटि सुसंगत मानक में प्रदान की गई त्रुटि की अनुमेय सीमा से परे है, तो मीटर को तत्काल बदल दिया जाएगा।

परन्तु, जब कभी इंटरफ़ेस मीटर को बदला जाए, तब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पारेषण/वितरण प्रणाली के दूसरे छोर पर लगा इंटरफ़ेस मीटर, यदि कोई हो, एक ही परिशुद्धता श्रेणी के हों।"

- (iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा : -
 - "(घ) जब रीडिंग इंटरफ़ेस मीटर के रीडिंगों के अनुरूप नहीं हैं।"
- 13. उक्त विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) व (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) (क) लाइसेंसधारी मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करेगा।
 - (ख) लाइसेंसधारी अपनी विद्यमान मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता दिलाने के लिए, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है, तत्काल कार्रवाई करेगा।
 - (3) उत्पादन कंपनी अथवा लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्माता द्वारा सभी प्रकार के नेमी और स्वीकृति परीक्षण, सुसंगत आईएस की अपेक्षा का अनुपालन करते हुए किए जाते हैं।"
- 14. उक्त विनियमों के विनियम 18 में. -
 - (i) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) सभी इंटरफ़ेस मीटरों का पांच वर्ष में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए कार्य स्थल पर नेमी संशुद्धता परीक्षण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उनका पुन: अंशशोधन किया जाएगा।

परन्तु, इन मीटरों का परीक्षण तब भी किया जाएगा, जब मीटर द्वारा रिकार्ड की गई ऊर्जा और अन्य मात्राएं असामान्य या वैद्युत निकटस्थ मीटरों के असंगत हो।

- (ग) परीक्षण की तिथि के बारे में अन्य पक्षकार को अग्रिम नोटिस देकर आपूर्तिकर्ता और क्रेता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इंटरफ़ेस मीटरों का परीक्षण और अंशशोधन किया जाएगा।";
- (iii) उप-विनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(2) उपभोक्ता मीटर: उपभोक्ता मीटर का पांच वर्ष में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से कार्य स्थल पर परीक्षण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उनका पुन: अंशशोधन किया जाएगा;

परन्तु, लाइसेंसधारी कार्य स्थल पर मीटर का परीक्षण करने के बजाय मीटर को हटा सकता है और उसको किसी मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में विधिवत परीक्षण किए गए मीटर को लगा सकता है:

परन्तु यह और कि यदि पूर्ववर्ती वर्षों के इन्हीं महीनों या मौसम में खपत पैटर्न में तीव्र परिवर्तन आता है अथवा किसी मीटर के बारे में उपभोक्ता की शिकायत हो, तो मीटर का परीक्षण किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर परीक्षणाधीन मीटर की तुलना में उच्चतर परिशुद्धता श्रेणी वाला होगा।

(3) एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिट मीटर: एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिट मीटरों का परीक्षण मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से पांच साल में कम से कम एक बार या जब भी उनकी परिशुद्धता पर संदेह हो अथवा जब भी रीडिंग अन्य मीटरों, अर्थात् चेक मीटरों, स्टैंडबाई मीटरों की रीडिंग के असंगत हो, कार्य स्थल पर परीक्षण किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो दोषपूर्ण मीटरों का पुन: अंशशोधन किया जाएगा:

परन्तु, यह परीक्षण इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रान्सफामरों के कनेक्शन हटाए बिना किया जाए।"

- 15. उक्त विनियमों के विनियम 20 का लोप किया जाएगा।
- 16. उक्त विनियमों के यथा विलोपित विनियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -
 - "21. साइबर सुरक्षा- (1) उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों, और प्राधिकरण द्वारा विद्युत क्षेत्र में संचार प्रणाली के लिए निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करेंगे।
 - 22. विनियमों की शिथिलता प्राधिकरण, लिखित आदेश से और कारणों को दर्ज करते हुए अपने समक्ष प्रस्तुत किसी मामले में अलग-अलग मामले के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध में शिथिलता प्रदान कर सकता है।"
- 17. उक्त विनियमों की अनुसूची में-
 - (i) भाग । में,-
- (क) पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थातु:-

"(1) इन मानकों में मीटरों की विशिष्टताएं, बाह्य कारकों से प्रतिरक्षा, सीलिंग बिंदुओं तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं का प्रावधान है, जो विनियामक दृष्टिकोण से अपेक्षित हैं:

परन्तु, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं, उत्पादन कंपनी अथवा लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैयार की जाएंगी।"

(ख) पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(2) मीटरों की विशिष्टताएं

	(८) माटरा का विशिष्टताए		
1.	मानक संदर्भ वोल्टेज, वोल्टेज रेंज, मानक		
	आवृत्ति, प्रारंभिंक विद्युत धारा और अधिकतम		
	विद्युत धारा, पावर फैक्टर रेंज, पावर फ्रीक्वेंसी		
	विदस्टैंड वोल्टेज, 1.2/50 माइक्रो सेकंड के लिए	सुसंगत भारतीय मानकों (आईए	स) के अनुसार।
	इंपल्स वोल्टेज विदस्टैंड परीक्षण, ऊर्जा खपत		
2.	मानक मूल विद्युत धारा	सुसंगत आईएस के अनुसार। उप	गभोक्ता मीटर की विद्युत धारा
		` ,	रह से चुनी जाएगी कि स्वीकृत
		भार के तदुनुरूप विद्युत भार किया जा सके।	धारा (लोड करंट) को रिकॉर्ड
3.	परिशुद्धता श्रेणी (एक्यूरेसी क्लास)	मीटर, परिशुद्धता श्रेणी की नि	म्निलिखित अपेक्षाओं को पूरा
		करेंगे:	
		(क) इंटरफ़ेस मीटर	0.2 एस
		(ख) उपभोक्ता मीटर	
		(i) 650 वोल्ट तक तक सीधे	1.0
		जुड़े	
		(ii) 650 वोल्ट तक सीटी	जहां पृथक सीटी का उपयोग किया गया है, सुसंगत
		कने <i>क्टेड</i>	आईएस के अनुसार श्रेणी
			0.5 एस
			या
			बिना टर्मिनल वाले सीधे
			जुड़े लांग करंट रेंज मीटरों के लिए सुसंगत आईएस के
			अनुसार श्रेणी 1.0
		(iii) 650 वोल्ट से ऊपर और	
		33 किलो वोल्ट तक	
		(iv) 33 किलो वोल्ट से ऊपर	0.2 एस
		(ग) एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑ	डेट मीटर
		(i) विद्युत उत्पादन केंद्रों में, जनरेटर स्टेटर टर्मिनलों के बाद	
			लरी ट्रांसफार्मर (रों) के लिए
		टैप ऑफ से पहले और नवीक	रणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र के

		मामले में इन्वर्टर एसी आउटपुट टर्मिनल पर मीटर(रों) की
		परिशुद्धता श्रेणी, 0.2 एस परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं
		होगी:
		परन्तु, अन्य मीटरों की परिशुद्धता श्रेणी 1.0 एस परिशुद्धता
		श्रेणी से कम न हो।
		(ii) पारेषण प्रणाली में मीटरों की परिशुद्धता श्रेणी 0.2 एस
		परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं होगी।
		(iii) वितरण प्रणाली में जहां मीटर के साथ पृथक करेंट
		ट्रान्सफार्मरों (सीटीज) का उपयोग किया गया है, वहां
		परिशुद्धता श्रेणी 0.5 एस परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं
		होगी:
		परन्तु बिना टर्मिनल वाले सीधे जुड़े लम्बी करंट रेंज मीटरों
		के मामले में परिशुद्धता श्रेणी श्रेणी 1.0 से कम नहीं होगी।
		(iv) उपभोक्ता परिसर में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन
		केंद्र के एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर की परिशुद्धता श्रेणी उपभोक्ता मीटर के समान होगी।
4.	परिवेशी तापमान और आर्द्रता (यदि अंतर्राष्ट्रीय	तापमान परिसीमा:
	मानक या आईईसी मानक का अनुपालन किया	
	जाता है)	प्रचालन की परिसीमा: -10 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री
		सेल्सियस तक
		भंडारण और परिवहन के लिए परिसीमा: -10 डिग्री सेल्सियस
		से +70 डिग्री सेल्सियस तक
		सापेक्ष आर्द्रता: 100% तक
		नोट : (1) विशेष अनुप्रयोगों के लिए निर्माता और क्रेता के
		बीच समझौते के अनुसार अन्य तापमान मानों का
		उपयोग किया जा सकता है।
		(2) तापमान की चरम सीमाओं पर मीटर का प्रचालन,
		भंडारण और परिवहन अधिकतम छह घंटे की अवधि के
		लिए होना चाहिए।
5.	डब्ल्यूएच और वीएआरएच को मापने के दौरान के	वल मूल आवृत्ति मात्राओं को ही मापा और परिकलित किया
	जाएगा।";	

- (ग) पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(3) मीटर में कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (सीएमआरआई) के माध्यम से मीटरीकृत आंकड़े डाउनलोड करने के लिए एक पोर्ट और दूरस्थ संचार के लिए एक अन्य पोर्ट/प्रणाली उपलब्ध होगी।"
- (घ) पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(5) सीलिंग बिंदु: सीलिंग निम्नलिखित बिंदुओं (यथा लागू) पर की जाएगी:
 - (क) कवर वाली मीटर बॉडी (यदि एकीकृत बॉडी का उपयोग किया जाता है, तो लागू नहीं)

- (ख) मीटर टर्मिनल कवर
- (ग) मीटर परीक्षण टर्मिनल ब्लॉक
- (घ) मीटर कैबिनेट/पैनल
- (ड.) मीटरिंग के उद्देश्य के लिए, इंस्ट्रमेंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनल बॉक्स और जंक्शन बॉक्स, यदि कोई हो।"
- (इ.) पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(6) (क) इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की परिशुद्धता श्रेणी संबद्ध मीटरों से कम नहीं होगी।
 - (ख) इंस्ट्रमेंट ट्रांसफॉर्मर सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।
 - (ग) यदि विद्यमान इंस्ट्र्मेंट ट्रांसफार्मर इन विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, दोषपूर्ण हैं या निष्क्रिय पाए जाते हैं, तो उन्हें नए इंस्ट्र्मेंट ट्रांसफॉर्मर से बदल दिया जाएगा।";
- (च) पैरा (7) का लोप किया जाएगा।
- (ii) भाग ।। के पैरा (1) में -
- (क) उप-पैरा (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(क) इंटरफ़ेस मीटर तीन फेस चार वायर वाले स्थैतिक प्रकार के समग्र (कम्पोजिट) मीटर होंगे जो सक्रिय (ऐक्टिव) व प्रतिघाती (रिऐक्टिव) ऊर्जा तथा निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित कुछ अन्य पैरामीटरों को मापने वाले स्वतःपूर्ण उपकरण होंगे:

परन्तु, ये मीटर 110 वोल्ट सेकेन्डरी लाइन टू लाइन वोल्टेज रेटिंग वाले वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) और 1 एम्पीयर या 5 एम्पीयर सेकेन्डरी करेंट रेटिंग वाले करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) में सीधे जोड़े जाने के लिए उपयुक्त हों:

परन्तु यह भी कि, संदर्भ आवृत्ति (फ्रीक्वेन्सी) 50 हर्ट्ज होगी।

- (ख) इन मीटरों में एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी जो कम से कम पिछले दस दिनों की अवधि के आंकड़े संग्रहीत करने में सक्षम होगी और सुसंगत भारतीय मानकों में निर्दिष्ट पैरामीटरों के अतिरिक्त, निम्नलिखित पैरामीटरों को मापने में सक्षम होगी:
 - (i) प्रत्येक क्रमिक समय ब्लॉक के लिए औसत आवृत्ति 2 दशमलव ट्रन्केशन तक;
 - (ii) स्टेशन बसबारों से बाहर भेजी गई ऐक्टिव पॉवर के लिए + चिह्न और बसबारों में प्राप्त ऐक्टिव पॉवर के लिए - चिह्न सहित प्रत्येक क्रमिक समय ब्लॉक के दौरान नेट डब्ल्यूएच ट्रान्समिटल दो दशमलव तक;
 - (iii) प्रत्येक अर्धरात्रि में संचयी डब्ल्यूएच ट्रान्समिटल एक दशमलव सहित आठ अंकों में;
 - (iv) उच्च वोल्टेज स्थिति के लिए प्रत्येक अर्धरात्रि में संचयी वीएआरएच ट्रान्समिटल एक दशमलव सहित आठ अंकों में;
 - (v) निम्न वोल्टेज स्थिति के लिए प्रत्येक अर्धरात्रि में संचयी वीएआरएच ट्रान्समिटल एक दशमलव सहित आठ अंकों में:
 - (vi) किसी फेस पर वीटी आपूर्ति की विफलता की स्थिति में तिथि और समय ब्लॉक तारांकित (*) चिह्न और पूर्ण वोल्टेज विफलता की स्थिति में जेड (Z) चिह्न के रूप में;
 - (vii) स्टेशन बसबारों से बाहर भेजी गई रिऐक्टिव पॉवर के लिए + चिह्न और बसबारों में प्राप्त रिऐक्टिव पॉवर के लिए - चिह्न सहित प्रत्येक क्रमिक समय ब्लॉक के दौरान नेट वीएआरएच ट्रान्समिटल दो दशमलव तक;

(viii) औसत वोल्टेज 2 दशमलव ट्रन्केशन तक:

परन्तु मीटर द्वारा मीटर डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए समय ब्लॉक 15 मिनट या केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार होगा।";

- (ख) उप-पैरा (ग) का लोप किया जाएगा।
- (ग) उप-पैरा (घ) का लोप किया जाएगा।
- (घ) उप-पैरा (ड.), (च), (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(ड.) दो प्रतिघाती ऊर्जा (रिऐक्टिव एनर्जी) रजिस्टर होंगे, एक उस अवधि के लिए जब औसत आरएमएस वोल्टेज 103% से अधिक है और दूसरा उस अवधि के लिए जब वोल्टेज 97% से कम।
 - (च) जब उप केंद्र बसबारों से नेट डब्ल्यूएच निर्यात है तो डब्ल्यू एच रिकॉर्डिंग में + चिह्न होगा और जब नेट डब्ल्यूएच आयात है तो - चिह्न होगा:

परन्तु, जब उप केंद्र बसबारों से डब्ल्यूएच या वीएआरएच का निर्यात होता है, तो डब्ल्यूएच और वीएआरएच के लिए एकीकृत (संचयी) रजिस्टर आगे बढ़ेगा और जब आयात है तो पीछे चलेगा।

- (छ) मीटर, निम्नलिखित पैरामीटरों को भी (मांग पर) बारी-बारी प्रदर्शित करेगा:
 - (i) मीटर की विशिष्ट पहचान संख्या,
 - (ii) तिथि,
 - (iii) समय,
 - (iv) संचयी वॉट ऑवर (डब्ल्यूएच) रजिस्टर रीडिंग,
 - (v) पिछले समय ब्लॉक की औसत आवृत्ति,
 - (vi) पिछले समय ब्लॉक में नेट डब्ल्यूएच संचारण, +/- चिह्न सहित,
 - (vii) औसत प्रतिशत वोल्टेज,
 - (viii) रिऐक्टिव पॉवर +/- चिह्न सहित,
 - (ix) वोल्टेज-उच्च वीएआरएच रजिस्टर रीडिंग,
 - (x) वोल्ट-निम्न वीएआरएच रजिस्टर रीडिंग,
 - (xi) पिछले समय ब्लॉक में नेट वीएआरएच संचारण, +/- चिह्न सहित।
 - (ज) (i) तीन लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज की लगातार निगरानी की जाएगी, और यदि इनमें से कोई भी 80% से कम हो जाता है, तो इसे उपयुक्त रूप से दर्शाया जाएगा और मीटर मेमोरी में रिकॉर्ड किया जाएगा।
 - (ii) ये मीटर आमतौर पर वीटी सेकेन्डरी परिपथों से ली गई विद्युत से परिचालन करेंगे:

परन्तु इन मीटरों को एसी और डीसी ऑग्जिलरी विद्युत आपूर्ति से प्रचालित करने का प्रावधान होगा।

- (iii) प्रत्येक मीटर में एक बिल्ट-इन कैलेंडर तथा घड़ी होगी, और उसमें स्वत: समय तादात्म्य (टाइम सिन्क्रोनाइजेशन) की सुविधा होगी ।
- (iv) मीटर ठीक से सील किया जाएगा और कार्य स्थल पर समायोजन (एडजस्टमेन्ट) की किसी भी संभावना से परे, किसी भी छेड़छाड़ को स्पष्ट दर्शाने वाले (टैम्पर एविडेन्ट) होंगे।"

- (ड़) खंड (i) का लोप किया जाएगा;
- (च) उप-पैरा (ण) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(ञ) मुख्य मीटर और चेक मीटर इन्स्ट्रमेन्ट ट्रांसफार्मर के एक ही कोर से जोड़े जाएंगे।"
- (ज) उप-पैरा (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा:
 - "(ट) सभी नए मीटरों में आवृत्ति को 0.01 हर्ट्ज के चरणों में रिकॉर्ट करने की क्षमता होगी।
 - (ठ) सभी नए मीटर केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय ब्लॉक के परिवर्तन के अनुरूप कार्य स्थल पर फिर से कॉन्फ़िगर किए जाने योग्य होंगे।"
- (iii) भाग ।।। में,
 - (क) पैरा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(1) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ आवश्यकताओं पर आधारित उपभोक्ता मीटर में सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप पैरामीटरों को मापने, रिकॉर्ड करने तथा दर्शाने की सुविधा होगी:

परन्तु, उपभोक्ता मीटर में लाइसेंसधारी की आवश्यकता के अनुसार छेड़-छाड़ (टैम्पर) से संबंधित घटनाओं को दर्ज करने और दर्शाने की भी सुविधा हो।

- (2) सभी मीटरों में नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कम से कम 35 दिनों के लिए डेटा संग्रहण क्षमता होगी।";
- (ख) पैरा (3) में,-
- (क) मद (i) और उसके अंतर्गत टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(i) उपयुक्त आयोग के विनियमों या दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त एंटी-टैम्परिंग विशेषताएं, जिनमें धारा परिपथ को पलटना, धारा परिपथ शार्ट अथवा ओपेन अथवा असामान्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति जैसी छेड़-छाड़ की घटनाओं को लॉग करना सम्मिलित हो, उपलब्ध कराई जा सकती हैं।"
 - "टिप्पण स्मार्ट मीटर द्वि-दिशात्मक है और इसलिए उपर्युक्त (3) (ड.) में उल्लिखित एंटी टैम्पर विशेषता लागू नहीं होगी।":
- (iv) भाग IV में, पैरा (1) का लोप किया जाएगा।
- (v) भाग IV में, पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(2) संबंधित उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी की एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट आवश्यकताओं के आधार पर एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटरों में सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप पैरामीटरों को मापने, रिकॉर्ड करने तथा दर्शाने की सुविधा उपलब्ध होगी।"

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./375/19]

टिप्पणी: मूल विनियम, की अधिसूचना सं 502/70/सीइए/डीपी एंड डी तारीख 22 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं 23/47/2014-आर एण्ड आर (खंड.॥) तारीख 03 दिसंबर 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किये गये थे।